



Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-I, Meenur
30/6/10

Secretary
செக்ரட்டரி

மொத்தம் - ரூ. 92

பணம் - ரூ. 100

பணம் - ரூ. 8

சமீபத்தில் உட்கார்த்தியாக


ரூ. 28 - 28

பணம் - ரூ. 100

சமீபத்தில் உட்கார்த்தியாக



Handwritten signature and a long diagonal line extending from the bottom right towards the center of the page.



આમા અમ્ય આપેલા ધિકારે લાગવ્યુ

તારીખ - ૦૧/૨૦૧૫

રૂબ ભાગ - ૧૫૩૨

આદેશ આદેશ

અ

આમલમ નામીભુ (૩)

સુચના

સુચના

બકાલ ભાગલ

સંખ્યા - ૩૩૩

Justine
Secretary
Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-1, Meerut



15/11/15

Justine
Secretary

Justine
Secretary
Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-1, Meerut

13/11/15

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर बागपत

30/11

दिनांक 01/12/14

उप धारा 143 उ०प्र०ज०वि०अधिनियम

मीजा-मुकारमपुर तहसील व जनपद बागपत।

विहल आदि बनाम

ग्राम सभा नौरोजपुर गुर्जर तहसील बागपत।

निर्णय

उक्त वाद प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा इन अंगिकथनों के आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की भूमि मीजा स्थित ग्राम मुकारमपुर तहसील व जिला बागपत के खाता संख्या 00020 खसरा नम्बर 37अ रकबा 0.2300है० व खसरा नम्बर 37ब रकबा 0.0900है० खसरा नम्बर 40/1 रकबा 0.2020है० कुल नम्बरान 03 कुल रकबा 0.5220है० लगानी परतनुसार ने से रकबा 0.4474है० के सक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है तथा अपने भाग की भूमि में प्रार्थीगण आवादी बनामा चाहते है। जिसके लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है तथा उपरोक्त नम्बरों का रकबा 0.4474है० आबादी में दर्ज होना आवश्यक है। प्रार्थीगण इसके लिए उपरोक्त भूमि को अकृषिक के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है। जिसके लिए गौंके की जांच रिपोर्ट मांगवी जानी अति आवश्यक है।

प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र पर नाथब तहसीलदार बागपत से जाच आख्या प्राप्त की गयी। नाथब तहसीलदार बागपत ने अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 20.09.2014 के द्वारा अकाल करवाया गया है कि ग्राम मुकारमपुर के राजस्व अभिलेख खतौनी फसली वर्ष 1417 ता 1422 के अनुसार खाता संख्या 00020 के खसरा नम्बर 37अ/0.2300है० खसरा नम्बर 37ब/0.0900है० व 40/1 रकबा 0.2020है० कुल नम्बर 03 रकबा 0.5220है० भूमि में 0.4474है० भूमि चौहले, महेन्द्र, गजराज, रगवीर पुत्रगण और, महावीर पुत्र काशी ब्रजपाल पुत्र सतपाल, सजय पुत्र सतपाल, कबरपाल पुत्र सतपाल व श्रीमती कंचली पत्नी सतपाल निवासीगण नौरोजपुर गुर्जर तहसील व जिला बागपत के नाम बतौर सहखातदार सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत गूखम्ह पर वर्तमान में कृषि कार्य, मत्स्यपालन, कुकुटपालन, बागवानी आदि एवं कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। नाथब तहसीलदार बागपत द्वारा अपनी जाच के अन्त में मीजा स्थित ग्राम मुकारमपुर के खाता संख्या 00020 के खसरा नम्बर 37अ/0.2300है० खसरा नम्बर 37ब/0.0900है० व 40/1 रकबा 0.2020है० कुल नम्बर 03 रकबा 0.5220है० भूमि में से 0.4474है० भूमि को धारा 143ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

गैने वादीगण को सदिरदार से सुना तथा पत्रावली पर नाथब तहसीलदार बागपत की जाच आख्या रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि मीजा स्थित ग्राम मुकारमपुर के राजस्व अभिलेख खतौनी फसली वर्ष 1417 ता 1422 के अनुसार खाता संख्या 00020 के खसरा नम्बर 37अ/0.2300है० खसरा नम्बर 37ब/0.0900है० व 40/1 रकबा 0.2020है० कुल नम्बर 03 रकबा 0.5220है० भूमि में 0.4474है० भूमि चौहले, महेन्द्र, गजराज, रगवीर पुत्रगण और, महावीर पुत्र काशी ब्रजपाल पुत्र सतपाल, सजय पुत्र सतपाल, कबरपाल पुत्र सतपाल व श्रीमती कंचली पत्नी सतपाल निवासीगण नौरोजपुर गुर्जर तहसील व जिला बागपत के नाम बतौर सहखातदार सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में मत्स्यपालन, कुकुटपालन, मधुगखी पालन आदि कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अकृषिक रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। नाथब तहसीलदार बागपत द्वारा अपनी जाच के अन्त में खाता संख्या 00020 के खसरा नम्बर 37अ/0.2300है० खसरा नम्बर 37ब/0.0900है० व 40/1 रकबा 0.2020है० कुल नम्बर 03 रकबा 0.5220है० भूमि में से 0.4474है० भूमि को धारा 143ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्राप्त हुई। अतः ऐसी स्थिति में उचित होगा कि उक्त भूमि को न्यायहित में अकृषिक भूमि घोषित किया जागा उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उक्त विवेचना के आधार पर ग्राम मीजा स्थित ग्राम मुकारमपुर तहसील बागपत के राजस्व अभिलेख खतौनी फसली वर्ष 1417 ता 1422 के अनुसार खाता संख्या 00020 के खसरा नम्बर 37अ/0.2300है० खसरा नम्बर 37ब/0.0900है० व 40/1 रकबा 0.2020है० कुल नम्बर 03 रकबा 0.5220है० भूमि में 0.4474है० भूमि चौहले, महेन्द्र, गजराज, रगवीर पुत्रगण और, महावीर पुत्र काशी ब्रजपाल पुत्र सतपाल, सजय पुत्र सतपाल, कबरपाल पुत्र सतपाल व श्रीमती कंचली पत्नी सतपाल निवासीगण नौरोजपुर गुर्जर तहसील व जिला बागपत के नाम बतौर सहखातदार सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में मत्स्यपालन, कुकुटपालन, मधुगखी पालन आदि कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अकृषिक रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। स्थल पर वर्तमान में उक्त भूमि में कृषि अथवा मत्स्यपालन के अन्तर्गत अकृषिक (गैर कृषि प्रयोजन हेतु) प्रख्यापित किया जाता है तथा उक्त भूमि को उ० प्र० ज० वि० अधिनियम 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक (गैर कृषि प्रयोजन हेतु) प्रख्यापित किया जाता है। वादी सदिव विकास प्राधिकरण बागपत/कडौत/खंकाव परवाना प्राधिकरण की स्वीकृति कराने व अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगा। परवाना अगलदशमद जारी किया जावे तथा बागपत की एक प्रति सब रजिस्ट्रार बागपत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही कोहित दफ्तर की जाये।


सत्य प्रतिलिपि


उक्त आदेश के अन्तर्गत अकृषिक (गैर कृषि प्रयोजन हेतु) प्रख्यापित किया जाता है। वादी सदिव विकास प्राधिकरण बागपत/कडौत/खंकाव परवाना प्राधिकरण की स्वीकृति कराने व अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगा। परवाना अगलदशमद जारी किया जावे तथा बागपत की एक प्रति सब रजिस्ट्रार बागपत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही कोहित दफ्तर की जाये।



13/11

दिनांक 13/11 2014
 प्राचना पत्र की तिथि 15/11/14
 कार्रवाई की तिथि 17/11/14


 (वकील कुमार सिंह) 13/11/14
 उप जिलाधिकारी, सदर
Smt. Natho Devi Educational Trust
 CL-189, Pailavpuram Phase-I, Meerut.



नाथदेवी उपजिलाधिकारी बामपट्ट

क्रमांक - 37

अध्याय - 143

धर्मवीर

अनाम

कुम्भपाले

मिठवा - मुकार मय

नकल - लाल

एकदा - 194

नकल



दिनांक
26/10/12

Secretary

Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-1, Meerut

Secretary
Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-1, Meerut

05/11/2012

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर बागपत।

वाद संख्या-37

सन 2012

अ० धारा 143उ०प्र०ज०वि०अधि०

धर्मवीर पुत्र खजान, कर्मवीर, सुरजी, अशोक, कुलदीप व सुभाष पुत्रगण स्व० अतले व श्रीमति चन्द्रों पत्नी स्व० अतले समस्त निवासीगण ग्राम नौरोजपुर गूजर परगना तहसील व जिला बागपत।

...प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1-कृष्णपाल पुत्र अतले निवासी ग्राम नौरोजपुर गूजर तहसील व जिला बागपत।

2-ग्राम पंचायत मुकारमपुर तहसील व जिला बागपत द्वारा ग्राम पंचायत मुकारमपुर जिला बागपत।

.....विपक्षीगण

मौजा-मुकारमपुर

निर्णय

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा इन अभिकथनों के आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ग्राम नौरोजपुर गूर्जर, परगना तहसील व जनपद बागपत के निवासीगण हैं और ग्राम मुकारमपुर परगना तहसील व जिला बागपत में काश्तकार हैं। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 38अ, व रकबा 0.2810हे० लगानी परतानुसार का अपना सम्पूर्ण 0.26093हे० के संकमणीय भूमिधर व मालिक हैं तथा अपने भाग की उक्त भूमि में आबादी बनाना चाहते हैं जिसके लिए अनुमति की आवश्यकता है। अन्त में प्रार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बर 38 अ,ब के सम्पूर्ण भाग बकदर रकबा 0.26093हे० भूमि पर अकृषि/आबादी दर्ज करने की याचना की है।

प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बागपत से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बागपत ने दिनांक 05-09-2012 को प्रारूप 135 के साथ अपनी जांच आख्या संस्तुति सहित प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि मौजा मुकारमपुर में खसरा नम्बर 38अ,ब रकबा 0.2810हे० में से रकबा 0.26093हे० भूमि राजस्व रिकार्ड में धर्मवीर पुत्र खजान व कर्मवीर, सुरजी, अशोक, कुलदीप, सुभाष पुत्रगण अतले व चन्द्रों पत्नी अतले निवासी नौरोजपुर गूजर तहसील व जिला बागपत के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है जिसमें कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि मौके पर खाली है।

तहसीलदार बागपत की उक्त आख्या के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर एक नोटिस दिनांक 27 सितम्बर 2012 को सर्वसाधारण के लिए तहसीलदार बागपत तथा प्रतिवादी कृष्णपाल व ग्राम पंचायत मुकारमपुर तहसील व जिला बागपत को इस आशय से जारी किया गया कि उक्त भूमि के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 04-10-2012 तक न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, परन्तु इस संबंध में आज तक किसी भी व्यक्ति अथवा प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उक्त भूमि का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी का कार्य नहीं हो रहा है।

तहसीलदार बागपत की उक्त जांच आख्या तथा उक्त फोटो से स्पष्ट है कि मौजा मुकारमपुर परगना तहसील व जिला बागपत के खसरा नम्बर 38अ,ब रकबा 0.2810हे० में से रकबा 0.26093हे० भूमि पर धर्मवीर पुत्र खजान, कर्मवीर, सुरजी, अशोक, कुलदीप व सुभाष पुत्रगण स्व० अतले व श्रीमति चन्द्रों पत्नी स्व० अतले समस्त निवासीगण ग्राम नौरोजपुर गूजर परगना तहसील व जिला बागपत द्वारा किसी भी प्रकार की उधानकरण, पशुपालन, मत्स्यवर्धन, कुक्कुट पालन कृषि के संवादन में कार्य नहीं कर रहे हैं तथा मौके पर भूमि खाली पड़ी है जिसे आबादी के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में उचित होगा कि उक्त भूमि को न्यायहित में अकृषिक/आबादी भूमि घोषित कर दिया जाये।

आदेश

उक्त विवेचना के आधार पर मौजा मुकारमपुर परगना तहसील व जिला बागपत के खसरा नम्बर 38अ,ब रकबा 0.2810हे० में से रकबा 0.26093हे० भूमि जो राजस्व रिकार्ड में धर्मवीर पुत्र खजान, कर्मवीर, सुरजी, अशोक, कुलदीप व सुभाष पुत्रगण स्व० अतले व श्रीमति चन्द्रों पत्नी स्व० अतले समस्त निवासीगण ग्राम नौरोजपुर गूजर परगना तहसील व जिला बागपत के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है जिसपर किसी भी प्रकार की उधानकरण, पशुपालन, मत्स्यवर्धन, कुक्कुट पालन कृषि के संवादन में नहीं कर रहे हैं तथा मौके पर भूमि खाली है तथा आबादी बनाना चाहते हैं,



[Signature]
Secretary
Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-I, Meerut

पर लगान समाप्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को उ०प्र०ज० विनाश अधिनियम 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक (गैर कृषि प्रयोजन हेतु) प्रख्यापित घोषित किया जाता है। परवाना अमलदशमद जारी किया जावे। तथा आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार बागपत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जाये।
दिनांक 28-10-2012

~~प्रमुख~~
~~प्रमुख~~ 28/10/2012
उप जिलाधिकारी,
बागपत।

तिरिपि
[Signature]
[Circular Stamp]
[Signature]
[Circular Stamp]

स्वाम्य 12:50
[Signature] 05/11/2012
[Signature] 06/11/2012
[Signature]

[Signature]
Secretary
Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-I, Meerut

[Signature]
Secretary
Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-I, Meerut

दाखिला खारिज हेतु घोषणा-पत्र

न्यायालय तहसीलदार/न्यायब तहसीलदार बागपत जनपद बागपत

मिसल नं० 5007.....

भूमि स्थिति ग्राम मुन्नापुर परगना बागपत के


सम्बन्ध में दाखिल खारिज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 और से यमकौर 5007 वधान कर्मचारी गांव 50 क्ष तले चन्दरी

पक्ष से रु. माध. चन्द. 5007 वधान कर्मचारी गांव 50 क्ष तले चन्दरी

द्वारा वनामा दिनांक 6-7-10 को निष्पादित हुआ है और
 दिनांक 29-4-13 सुनवाई वाद/आपत्ति निष्पादित के पक्ष में दाखिल खारिज करने

हेतु नियत की गई है। अतः यह घोषणा-पत्र जारी किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का इसमें कोई अधिकार हो तो नियत दिनांक पर इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें। हस्तान्तरी जिसे निष्पादित किया गया है भी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

41
0.2020
011230



1. एक प्रति ग्राम प्रधान व नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु दी जायें।
2. एक प्रति विक्रेता/क्रेता को दी जायें।

[Handwritten Signature]
 Secretary
 Smt. Natho Devi Educational Trust
 CL-189, Pallavpuram Phase-1, Meerut

[Handwritten Signature]
 Secretary
 Smt. Natho Devi Educational Trust
 CL-189, Pallavpuram Phase-1, Meerut

न्यायालय उप जिलाधिकारी, बागपत।

वाद संख्या-38

अधारा 143 जैड0ए0एण्ड0एल0आर0एक्ट
मौजा - मुकारमपुर

- 1-धर्मवीर पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम नौरोजपुर गूर्जर पर0 व तहसील व जिला बागपत।
- 2-सुरजी पुत्र अतले निवासी ग्राम नौरोजपुर गूर्जर पर0 व तहसील व जिला बागपत।
- 3-अशोक पुत्र अतले निवासी ग्राम नौरोजपुर गूर्जर पर0 व तहसील व जिला बागपत।
- 4-श्रीमति चन्द्रो देवी देवा अतले निवासी ग्राम नौरोजपुर गूर्जर पर0 व तहसील व जिला बागपत।
- 5-कर्मवीर पुत्र अतले निवासी ग्राम नौरोजपुर गूर्जर पर0 व तहसील व जिला बागपत।
- 6-कुलदीप पुत्र अतले निवासी ग्राम नौरोजपुर गूर्जर पर0 व तहसील व जिला बागपत।
- 7-सुभाष पुत्र अतले निवासी ग्राम नौरोजपुर गूर्जर पर0 व तहसील व जिला बागपत।

दनाम

- 1-कृष्णपाल पुत्र अतले निवासी ग्राम नौरोजपुर गूर्जर परगना व तहसील व जिला बागपत।
- 2-ग्राम सभा ग्राम नौरोजपुर गूर्जर द्वारा प्रधान/चैयरमैन भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम नौरोजपुर गूर्जर परगना व तहसील व जिला बागपत।

जब्त आदेश

उक्त वाद वादीगण/प्राथीगण द्वारा इन अभिकथनों के आधार पर दायर किया कि वादीगण भूमि खसरा संख्या 38अ रकबा 0.2600हे0, खसरा संख्या 38ब रकबा 0.0210हे0, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1230हे0, खसरा नम्बर 40/2 रकबा 0.2020हे0 लगान सालाना 30.00 रुपये कुल नम्बरान 4 कुल रकबा 0.6060हे0 स्थित ग्राम मुकारमपुर परगना तहसील व जिला बागपत के प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मालिक कब्जि संरक्षणणीय भूमिधर एवं राहखातेदार है उक्त भूमि से किसी अन्य का कोई ताल्लुक वास्ता या सम्बन्ध नहीं है विपक्षी संख्या 2 कानूनी रूप से आवश्यक वाद प्रकार बनाया गया है विपक्षी संख्या 2 का कोई ताल्लुक वास्ता उक्त भूमि से किसी किस्म का नहीं है। वादीगण उक्त भूमि के खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1230हे0 व खसरा नम्बर 40/2 रकबा 0.2020हे0 कुल नम्बरान 2 कुल रकबा 0.3250हे0 लगानी सालाना अंकन 16.00 रुपये का आबादी के रूप में प्रयोग कर रहे है तथा मोके पर उक्त भूमि में कोई कृषि कार्य नहीं हो रही है ना ही मोके पर उक्त दोनों खसरा नम्बरान में बागवानी, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन हो रहा है उक्त वर्णित भूमि को अकृषकीय घोषित किये जाने से राज्य सरकार अथवा ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति को कोई हानि किसी किस्म की नहीं है। न्यायहित में भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 0.1230हे0 व खसरा नम्बर 40/2 रकबा 0.2020हे0 कुल नम्बरान 2 कुल रकबा 0.3250हे0 लगानी अंकन 16.00 रुपये सालाना स्थित ग्राम मुकारमपुर तहसील व जिला बागपत को अकृषकीय प्रयोजन की भूमि घोषित किया जाकर भू-राजस्व समाप्त किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्राथीगण से उक्त संख्या 41 रकबा 0.1230हे0 व खसरा नम्बर 40/2 रकबा 0.2020हे0 कुल नम्बरान 2 कुल रकबा 0.3250हे0 लगानी अंकन 16.00 रुपये सालाना स्थित ग्राम मुकारमपुर तहसील व जिला बागपत को अकृषकीय भूमि घोषित किया जाकर आबादी की घोषणा कर भू-राजस्व समाप्त किया जाकर राजस्व अभिलेखा में इन्द्राज कराने का अनुरोध किया है।

प्राथीगण/वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बागपत से आख्या प्राप्त की गयी जो उनके द्वारा दिनांक 28-6-2010 को प्रस्तुत की है जिसमें उनके द्वारा अभिकथित किया है कि उक्त भूमि का मोका मुआयना किया गया मौजा मुकारमपुर स्थित खाता संख्या 003 के खसरा संख्या 40/2 क्षेत्रफल 0.202हे0 एवं खसरा संख्या 41 रकबा 0.123 कुल रकबा 0.325हे0 जो माल कायजात में भूमिधर के रूप में दर्ज है। वर्तमान में इस क्षेत्रफल में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है अकृषिक प्रयोग में लाई जा रही है उपरोक्त भूमि से 1/14 भाग यानि 0.023 घटाने के बाद कुल क्षेत्रफल 0.302हे0 पर कोई कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। अन्त में तहसीलदार बागपत ने ग्राम मुकारमपुर के खाता संख्या 003 के खसरा नम्बर



Secretary

**Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-I, Meerut**

Secretary

**Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-I, Meerut**

492 रकबई 0202 खसरा संख्या 41 रकबई 0.128हे0 कुल नम्बरान 2 कुल क्षेत्रफल 0.325हे0 पैसे 0.302हे0 जिसके धर्मवीर पुत्र खजान व कर्मवीर, सुरजी अशोक, सुभाष कुलदीप पुत्रगण अतले श्रीमति चन्द्रो पत्नी अतले निवासी नौरोजपुर गूर्जर भूमिधर है, की भूमि को उ0प्र0 ज0 विनाश अधिनियम 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक/आबादी भूमि घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित की है।

तहसीलदार बागपत की उक्त आख्या के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार बागपत द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। तहसीलदार बागपत की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम मुकारमपुर परगना व तहसील व जिला बागपत के खाता संख्या 003 के खसरा नम्बर 492 रकबई 0202 खसरा संख्या 41 रकबई 0.128हे0 कुल नम्बरान 2 कुल क्षेत्रफल 0.325हे0 पैसे 0.302हे0 पर धर्मवीर पुत्र खजान व कर्मवीर, सुरजी अशोक, सुभाष कुलदीप पुत्रगण अतले श्रीमति चन्द्रो पत्नी अतले निवासी नौरोजपुर गूर्जर तहसील व जिला बागपत की भूमि में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, कोई मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित होगा।

तदनुसार ग्राम मुकारमपुर परगना व तहसील व जिला बागपत के खाता संख्या 003 के खसरा नम्बर 492 रकबई 0202 खसरा संख्या 41 रकबई 0.128हे0 कुल नम्बरान 2 कुल क्षेत्रफल 0.325हे0 पैसे 0.302हे0 पर धर्मवीर पुत्र खजान व कर्मवीर, सुरजी अशोक, सुभाष कुलदीप पुत्रगण अतले श्रीमति चन्द्रो पत्नी अतले निवासी नौरोजपुर गूर्जर तहसील व जिला बागपत संक्रमणीय भूमिधर है, को उ0प्र0 ज0 वि0 अधिनियम 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक/आबादी भूमि घोषित किया जाता है कि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि इत्यादि का कार्य नहीं करेंगे। शासन/प्राधिकरण द्वारा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाहियों पर इस घोषणा का कोई प्रभाव नहीं होगा। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार बागपत तथा अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बागपत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक 30 जून 2010



रजिस्ट्रार बागपत

परगना मजिस्ट्रेट
बागपत

2/7/10

(लाल मणि मिश्रा)
उप जिलाधिकारी,
बागपत।

14/7
1/7/2010
2/7/2010

Secretary

Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-I, Meerut

Smt. Natho Devi Educational Trust
CL-189, Pallavpuram Phase-I, Meerut